[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 20/2017- केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 3 जुलाई, 2017

सा.का.नि. .... (अ).-- केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 की उपधारा (3) के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 361(अ) तारीख 13 मई, 2002 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना 28/2002-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 13 मई, 2002 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

2. उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी में, क्रम सं0 3 से संबंधित प्रविष्टि के स्तंभ (2) में, "ऐसा एथनोल, जिस पर समुचित उत्पाद शुल्क का संदाय किया गया है" शब्दों के स्थान पर, "ऐसा एथनोल, जिस पर, यथास्थिति, समुचित केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या एकीकृत कर का संदाय किया गया है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात् :--

'**स्पष्टीकरण 2–**"समुचित केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर" से केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) और संबंधित राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन यथा उद्ग्रहणीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर अभिप्रेत होंगे ।'।

3. उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी में, क्रम सं0 4 से संबंधित प्रविष्टि के स्तंभ (2) में, "ऐसा एथनोल, जिस पर समुचित उत्पाद शुल्क का संदाय किया गया है" शब्दों के स्थान पर, "ऐसा एथनोल, जिस पर, यथास्थिति, समुचित केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या एकीकृत कर का संदाय किया गया है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात् :--

'**स्पष्टीकरण 2**–"समुचित केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर" से केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) और संबंधित राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन यथा उद्ग्रहणीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर अभिप्रेत होंगे ।'।

4. उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी में, क्रम सं0 5 से संबंधित प्रविष्टि के स्तंभ (2) में, "ऐसा बायो डीजल, जिस पर समुचित उत्पाद शुल्क का संदाय किया गया है" शब्दों के स्थान पर, "ऐसा बायो डीजल, जिस पर, यथास्थिति, समुचित केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या एकीकृत कर का संदाय किया गया है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात् :--

'**स्पष्टीकरण 2**–"समुचित केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर" से केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) और संबंधित राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन यथा उद्ग्रहणीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर अभिप्रेत होंगे ।'।

[फा.सं. 354/119/2017-टीआरयू]

(रुचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार